भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 395
दिनांक 03 दिसम्बर 2025 / 12 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

जयगांव, चांगराबांधा और पानीटंकी में एकीकृत चेक पोस्ट

395 श्री सामिक भट्टाचार्यः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सितंबर, 2024 और फरवरी, 2025 में भूमि प्राप्त करने के पश्चात पश्चिमी बंगाल के जयगांव, चांगराबांधा और पानीटंकी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के लिए निर्माण कार्य शुरु कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें निविदाएं, अनुबंध प्रदान करना और भौतिक रुप से निर्माण कार्य आरंभ करना शामिल है;

(ग) इन आईसीपी के निर्माण और परिचालन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और एलपीएआई द्वारा निर्धारित प्रमुख माइलस्टोन क्या हैं; और

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि निर्माण कार्य में और देरी न हो और इन आईसीपी का भारत-भूटान, भारत-बांग्लादेश और भारत-नेपाल व्यापार को सुगम बनाने और सीमा पार यात्री आवागमन को सरल बनाने पर क्या असर होने की उमीद है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत-भूटान सीमा पर जयगांव, भारत-बांग्लादेश सीमा पर चांगराबांधा और भारत-नेपाल सीमा पर पानीटंकी में आईसीपी स्थापना से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही बढ़ती है। ये सुविधाएं कार्गो और यात्रियों की आवाजाही को आसान, सुव्यवस्थित और तालमेल को सुनिश्चित करती हैं। ये भारत-बांग्लादेश-भूटान-नेपाल (आईबीबीएन) सब-रीजन में कनेक्टिविटी को मजबूत करती हैं, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बीच संपर्क बेहतर होते हैं। इसके अलावा, आईसीपी सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास में योगदान करते हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 395, दिनांक 03.12.2025

आईसीपी बनने में कई स्टेज शामिल हैं, जिनमें पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन, भूमि अधिग्रहण, डीपीआर/डीईआर तैयार करना, व्यवहार्यता अध्ययन, अनुमोदन, निविदा आदि शामिल हैं, जो स्थान, मानदंड और पूर्वापेक्षा के आधार पर अलग-अलग होते हैं। इन सभी 3 आईसीपी के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

*****